

16/02/26

पत्रा पेश हुई। वक्तु उपर। काही वकील द्वारा साक्षपवापी
को मौका चाहा गया पूर्व में अनेक अवसर दिने
जा चुके अन्य अवसर दिया जाना उचित नहीं है।
अतः पत्रा अदम पैरवी में इसी स्वर पर खारिज
की जाती है। पत्रा फौसल शुमार लेकर दायित्व दफ्तर
ले।